

12
रामपुर

84



राज्य माननीय राज्य मण्डल मध्य प्रदेश ग्यालियर
प्रकरण क्रमांक 112 निगरानी - R-1211-J/12

राज्य के कागद-पत्र आयोग
जिस अधिनियम 4-5-12 को
प्रस्तुत
कॉपी
4-5-12
कांफ ऑफ कोर्ट
राज्य मण्डल म.प्र. ग्यालियर

1- रामस्वरूप पुत्र प्रहलाद उम्र 41 साल,
जाति मीणा निवासी ग्राम छिरनी, तह-
व जिला रथोपुर मध्य
2- हरिओम पुत्र कलठान उम्र 27 साल,
जाति मीणा निवासी ग्राम छिरनी, तह-
व जिला रथोपुर मध्य
--- जाये दकगण /
निगरानी कार्रवाई



जनाम
1- सरिया पुत्र पन्ना बैरवा उम्र 57 साल,
निवासी ग्राम छिरनी, जिला रथोपुर
निस्थ
2- सियाराम पुत्र जगा बैरवा उम्र 44 साल,
निवासी ग्राम छिरनी, जिला रथोपुर मध्य
3- धन्नी पुत्र जयलाल बैरवा उम्र 50 साल,
निवासी ग्राम छिरनी, परगना व जिला
रथोपुर मध्य
4- मध्य प्रदेश शासन जय अर कलेक्टर जिला
रथोपुर मध्य
दल

राज्य
34/92

शाखा प्रवक्ता (का. सं.)
राज्य मण्डल म.प्र. ग्यालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता
द्वारा न्यायालय अर कलेक्टर जिला रथोपुर के प्र. क्रं. 84/2010-
11 निगरानी में पारित जाये दिनांक 13.2.2012

माननीय मशरूफ,
जाये दक/निगरानी कार्रवाई की ओर से निगरानी निम्न-
लिखित प्रस्तुत है :-

यह एक प्रकरण के संहितापत्र तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कनापुर

रामस्वरूप

हरिओम

क्रमांक:--2

878

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1211-एक/12 जिला-श्योपुर

दिनांक तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमात्रों आदि के हस्ताक्षर
14-2-19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० के० अवस्थी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 04/2011-12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.02.12 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19</p> <p>अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</p>	